न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 82/2023 बउनवानी डॉ0 भूपेन्द्र सिंह बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले० खण्डार
पुत्र स्व0 श्री शेर सिंह यादव निवासी अल्कापुरी–ए मुरलीपुरा जयपुर 302013
GCMS No-2023/182

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
06.2.2024	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही। लोक सूचना अधिकारी, उपजिला कलेक्टर खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 19.10.2023 को लोक सूचना अधिकारी,उपजिला कलेक्टर खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. यह है कि उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक लो.आस/परिवाद/सतर्कता/ 2023/168 दिनांक 18.9.2023 की प्रमाणित प्रति तथा जिला कलेक्टर स0मा0 के प्रासंगिक पत्रांक प.(1)06/लोकायुक्त परिवाद/सतर्कता/2023/1162 दिनांक 13.9.2023 की प्र0प्रति जो उप जिला कलेक्टर खण्डार के नाम से प्रेषित शुदा है तथा उपजिला कलेक्टर खण्डार ने उक्त पत्र दिनांक 18.9.2023 द्वारा जिला कलेक्टर के पत्रांक दिनांक 13.9.2023 की पालना में प्रेषित शुदा है। अतः प्रति उपलब्ध करावे। 2. यह है कि उपजिला कलेक्टर ने इस्तगासा जॉच रिपोर्ट क्रमांक 168 दिनांक 18.9.23 प्रेषित करने से पूर्व मौके पर जाकर तैयार जॉच रिपोर्ट, मय दिनांक तथा प्राप्त रिकार्ड एवं गवाहान के बयान की प्रमाणित प्रति तथा मौके पर तैयार रिपोर्ट दिनांक 13.9.2023 से 18.9.2023 के मध्य तैयार होने बाबत उपजिला कलेक्टर खण्डार के अधिकृत एवं उपयोग किये गये वाहन की लॉग बुक दिनांक 13.9.2023 से 18.9.2023 की प्रमाणित प्रति। 3. यह है कि आपके उक्त जॉच रिपोर्ट दिनांक. 168 दिनांक 18.9.2023 मे अंकित है कि प्रासांगिक पत्र के द्वारा विचाराधीन प्रकरण मे तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट पटवारी की जॉच रिपोर्ट के आधार पर प्रेषित किये जाने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्वंय के द्वारा मौके पर जाकर परिवाद मे वर्णित प्रकरण की जॉच की गयी। अतः मौके पर जाने की दिनांक तथा पूर्व में पटवारी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट मय नाम तथा दिनांक तथा तहसीलदार खण्डार की रिपोर्ट मय नाम एवं दिनांक एवं आप द्वारा मौके पर जाकर तैयार रिपोर्ट मय संलग्नक की प्र0प्रति मय बयानात गवाहान एवं रिकार्ड की प्र0प्रति। 4. यह है कि उपजिला कलेक्टर खण्डार ने हस्तगत जॉच रिपोर्ट क्रमांक 168 दिनांक 18.9.2023 की मद संख्या 2 में अंकित तथ्य प्रथम व द्वितीय पंक्ति में अप्रार्थीगण द्वारा आराजी ख0न0 529/1 रकबा 0.05 बीघा मे शराब की दुकान लगा रखी थी जिसको उपखण्ड प्रशासन के द्वारा पुलिस के सहयोग से पूर्व मे ही मौके से हटवा दिया गया था। अतः उपखण्ड प्रशासन द्वारा पुलिस से सहयोग प्राप्त कर उक्त आराजी ख0न0 544/1 रकबा 0.05 है0 से शराब की दुकान हटाने बाबत तेयार मौका रिपोर्ट मय दिनांक की प्रमाणित प्रति। उपखण्ड प्रशासन के राजस्व अधिकारी/कर्मचारी मय पुलिस टीम के सदस्यो के नाम मय विवरण पद नाम की प्र0प्रति तथा पुलिस इमदाद हेतु जारी थानाधिकारी खण्डार/सीओ/एसपी स0मा0/जिला कलेक्टर स0मा0 को प्रेषित पत्र तथा कार्यालय आदेश बाबत इन्तजाम आदेश की प्र0प्रति तथा जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा आबकारी विभाग को प्रेषित रिपोर्ट/प्रगति रिपोर्ट की प्र0प्रति तथा कार्यवाही दिनांक मे उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार/थानाधिकारी खण्डार द्वारा प्रयोग किये गये वाहन की लॉग बुक की प्रमाणित प्रति। 5. यह है कि उक्त वर्णित ख0न0 529/1 रकबा 0.05 रकबा 0.05 बीघा के जमाबन्दी मय खाता संख्या की प्रमाणित प्रति तथा ख0न0 802/517 रकबा 0.05 बीघा के जमाबन्दी मय खाता संख्या की प्रमाणित प्रति तथा ख0न0 802/517 रकबा 0.15 बीघा की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति। 6. यह है कि हस्तगत जॉच रिपोर्ट क्रमांक [illegible] दिनांक 18.9.2023 की मद संख्या 3 में अंकित ख0न0 802/517 रकबा [illegible] वीर सिंह द्वारा सीमेन्ट के पोल एवं फर्मा बनाने का कार्य पूर्व में बन्द [illegible] हटवा दिया जाने की दिनांक मय मौका रिपोर्ट मय बन्द करवाने एवं हटवाये जाने बाबत अधिकारी/कर्मचारी [illegible] का नाम मय पदनाम एवं तैयार मौका रिपोर्ट मय बयान[illegible] गवाहान व प्राप्त रिकार्ड [illegible]प्रति। उक्त मद संख्या 1 से 3 मे वर्णित शराब की दुकान एवं सीमेन्ट पोल व फरमे बनाने का वाणिज्यिक कार्य जारी रहने की अवधि एवं जॉच अधिकारी उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा आबकारी विभाग से प्राप्त रिकार्ड आबकारी ठेका बाबत एवं विधुत कनेक्शन नही होने पर विधुत चोरी

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:06:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

बाबत या विधुत कनेक्शन बाबत घरेलू खाता पर सीमेंट पोल फैक्ट्री बाबत प्राप्त रिकार्ड व जॉच रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

7. यह है कि उक्त मद संख्या 3 जॉच रिपोर्ट 168 दिनांक 18.9.2023 बाबत विधुत विभाग को जारी पत्र एवं प्राप्त रिकार्ड या अधिशाषी अभियंता खण्डार/स0मा0 से प्राप्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी,उपजिला कलेक्टर खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी,उपजिला कलेक्टर खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही है। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने लोक सूचना अधिकारी,उपजिला कलेक्टर खण्डार के जवाब नोटिस क्रमांक/ सूकाअ()/2023/42 दिनांक 15.01.2024 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2023 के बिन्दु संख्या 1,2 की सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक 38 दिनांक 15.01.2024 से तथा बिन्दु संख्या 3,4,6 की सूचना तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि अपीलान्ट ने उक्त बिन्दु मे यह नही बताया कि कौनसे सम्वत् की जमाबन्दी चाही जा रही है। बिन्दु संख्या 7 के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि कोई पत्र जारी नही किया गया है। इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट बिन्दु संख्या 1,2,3,4,6, की सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 5,7 के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 19.10.2023 के बिन्दु संख्या 1,2,3,4,6 की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर खण्डार एवं तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 5 की सूचना का पूर्ण विवरण अंकित नही होने एवं बिन्दु संख्या 7 पर चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय मे उपलब्ध नही होने के संबंध मे अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को सूचनाऐ अधिनियम की निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के उपरान्त उपलब्ध करवायी गयी है। इसलिए लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर अधिनियम की तय समय सीमा मे निस्तारण करवाया जाना सुनिश्चित करे। उक्त निर्देश के साथ अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(डॉ0 खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.21 14:06:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner